

राजस्थान सरकार

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक :-एफ.2(975)/DOIT/ESTT/12/0219/2025

जयपुर, दिनांक : 04/06/25

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री मुकेश कुमार रैगर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय जयपुर द्वारा RS-CIT (Rajasthan State Certificate course in Information Technology)-2025, 3 माह के पाठ्यक्रम में अध्ययन हेतु Vardhman Mahaveer Open University (VMOU), Kota से प्रवेश लेने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति चाही गयी है। श्री मुकेश कुमार रैगर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को उक्त पाठ्यक्रम का अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान सिविल सेवाएँ (आवरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमति प्रदान की जाती है :-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
4. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
5. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
6. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
7. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
8. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
9. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र से अभ्यर्थी द्वारा किए जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय की मान्यता या गैर-मान्यता के संबंध में इस विभाग की स्वीकृति नहीं मानी जायेगी।
10. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार बृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

(संजय जगदीश कर्णिक)

संयुक्त सचिव एवं कार्यालयध्यक्ष

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रोग्रामर, आर.टी.आई शाखा, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग मुख्यालय, जयपुर।
2. प्रभारी अधिकारी वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु।
3. श्री मुकेश कुमार रैगर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग मुख्यालय, जयपुर।
4. निजी/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी